राष्ट्रीय वधिकि सेवा दविस (national legal service day)

संदर्भ

- सभी नागरकिों के लयि उचति नष्पिक्ष और न्याय प्रक्रयिा सुनश्चिति करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय वधिकि सेवा दविस मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय वधिकि सेवा दविस (NLSD) की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लयि की गई थी।

राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण

- राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण, नालसा (National Legal Services Authority-NALSA) का गठन वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987 के अंतरगत समाज के कमजोर वर्गों को नःिशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लयि और ववािदों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लयि लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से कयिा गया है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वतिीय वरषि्ठ न्यायाधीश प्राधकिरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- संवधिान के अनुच्छेद 39 A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लयि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1), वधिकि के समक्ष समानता सुनश्चिति करने के लयि राज्य को बाध्य करता है।

नालसा के कार्य

- नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएँ लागू करने के लयि राज्य कानूनी सेवा प्राधकिरण पर दशिानर्दिेश जारी करता है।
- मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधकिरण, ज़लिा कानूनी सहायता प्राधकिरण, तालुक कानूनी सहायता समतियिों आदकिो नम्िनलखिति कार्य नयिमति आधार पर करते रहने की ज़म्मिेदारी सौंपी गई है-

1. सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।
2. ववािदों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से नपिटाने के लयि लोक अदालतों का संचालन करना।

मुफ्त वधिकि सेवाएँ

- कसिी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना।
- कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना।
- कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदकिी प्रमाणति प्रतयिाँ प्राप्त करना।
- कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज़ का अनुवाद और छपाई सहति पेपर बुक तैयार करना।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र

- महलिाएँ और बच्चे।
- अनुसूचति जात/िअनुसूचति जनजातकिे सदस्य।
- औद्योगकि श्रमकि।
- बड़ी आपदाओं जैसे- हसिा, बाढ़, सूखे, भूकंप तथा औद्योगकि आपदाओं आदकिे शकिार लोग।
- वकिलांग व्यक्त।ि
- हरिासत में रखे गए लोग।
- ऐसे व्यक्तजिनिकी वार्षकि आय 1,00,000 रुपए से अधकि नहीं है।
- बेगार या अवैध मानव व्यापार के शकिार।

नःिशुल्क वधिकि सेवाएँ प्रदान करने वाले वधिकि सेवा संस्थान

- **राष्ट्रीय स्तर पर**- राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण
- **राज्य स्तर पर**- राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण। इसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है जो इसका मुख्या संरक्षक भी होता है। उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानवृित्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकति कयिा जाता है।
- **ज़लिा स्तर पर**- राज्य कानूनी सेवा प्राधकिरण। ज़लिा न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- **तालुका स्तर पर**- तालुक वधिकि सेवा प्राधकिरण। इसकी नेतृत्व वरषि्ठ सविलि न्यायाधीश करता है।
- **उच्च न्यायालय**- उच्च न्यायालय वधिकि सेवा प्राधकिरण।
- **सर्वोच्च न्यायालय**- सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा प्राधकिरण।

उपरोक्त सभी का कार्य नालसा की नीतयिों और नरि्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को नशिुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-legal-service-day